**संशोधन**

**उत्तर प्रदेश शासन**
**राजस्व अनुभाग-1**
**संख्या-13/2023/557/एक-1-2023-1-1099/318/2021**
**लखनऊः दिनांक 20 जून, 2023**

**अधिसूचना**

काण्डला से गोरखपुर तक अर्जित भूमि के मध्य आने वाली ग्राम सभा/स्थानीय प्राधिकरण की भूमि पर अंडरग्राउण्ड पाइप लाइन बिछाने की अनुमति विषयक अधिसूचना संख्या-9/2023/469/एक-1-2023-1-1099/318/2021, दिनांक 30 मई, 2023 का संदर्भ लेने का कष्ट करें, जिसमें संबंधित जनपदों में ग्राम सभा/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबंधन में निहित सार्वजनिक भूमियों पर अंडर ग्राउण्ड पाइप लाइन बिछाने की अनुमति इस शर्त के अधीन दी गई है कि इस संबंध में यदि कोई कम्पंसेशन गांव सभा को देय हो, तो उसे नियमानुसार राजकोष में जमा कराया जायेगा।

2- इस सम्बन्ध में मुझसे यह कहने की अपेक्षा की गई है कि उक्त अधिसूचना दिनांक 30 मई, 2023 में उल्लिखित गांव सभा के स्थान पर **गांव सभा/स्थानीय प्राधिकरण** पढ़ा जाये।

उक्त अधिसूचना दिनांक 30 मई, 2023 इस सीमा तक संशोधित समझी जाये। शेष शर्ते/प्राविधान यथावत् रहेंगे।

**आज्ञा से,**
**सुधीर गर्ग**
**अपर मुख्य सचिव।**

**संख्या एवं दिनांक तदैव।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।
2- समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
3- समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
4- गाई फाइल।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in